संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownpl:[illegible]@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

क्रमांक /टीसी/40/उपां/नग्रानि/2013 भोपाल, दिनांक:- / /2018

प्रति,

1. **कलेक्टर,**
   जिला बुरहानपुर (म.प्र.)।
2. **उप संचालक,**
   नगर तथा ग्राम निवेश,
   जिला कार्यालय, खंडवा (म.प्र.)।
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत,
   जिला बुरहानपुर (म.प्र.)।
4. **आयुक्त,**
   नगर निगम, बुरहानपुर (म.प्र.)।
   जिला बुरहानपुर (म.प्र.)।

विषय:- बुरहानपुर विकास योजना 2021 में उपान्तरण बाबत् ।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा बुरहानपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोपरि।

(स्वाति मीणा नायक)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

पृ.क्रमांक 129 /टीसी/40/उपां/नग्रानि/2013 भोपाल दिनांक:- 01/3/2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

(स्वाति मीणा नायक)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

AD 10
7/3

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कंचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

सूचना

भोपाल, दिनांक 01 /3/2018

क्रमांक 1206 /उपां/टीसी/40/2013 - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बुरहानपुर विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्र	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	बुरहानपुर शहर	528	कुल रकबा 7.547 मे से 3209.985 वर्गमीटर	सार्वजनिक/अर्धसार्वजनिक एवं मार्ग	वाणिज्यिक
		योग:-	3209.985 हेक्टेयर		

टीप:-

1. बस स्टेण्ड रोड से स्टेडियम की ओर जाने वाले मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12 मीटर रखना आवश्यक होगा तथा दुकानो के सामने 4.50 मीटर चौडी ऑफ स्ट्रीट पार्किंग रखना आवश्यक होगा।
2. दुकानो के सामने न्यूनतम 1.8 मीटर चौडा कॉरीडोर छोडना आवश्यक होगा।
3. दुकानो के बीच में से विद्यालय के प्रवेश एवं निर्गम की न्यूनतम चौडाई 12 मीटर रखना आवश्यक होगा।
4. प्रस्तावित दुकानो की किसी भी प्रकार की ओपनिंग विद्यालय की ओर नही होगी।
5. दुकानो में स्कूल से प्रतिबंधित दूरी तक शराब, सिगरेट एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के विक्रय व व्यापार पर प्रतिबंध रहेगा।
6. दुकानो में ऐसी कोई गतिविधि या व्यापार मान्य नही होगा जो वायु, जल, ध्वनि प्रदुषण का कारक हो।
7. विद्यालय के खेल मैदान का पूर्ण विकास किया जाना होगा ।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खंडवा तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर निरिक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खंडवा को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव,जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

(स्वाति मीणा नायक)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

Directorate, Town and Country Planning,

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal Madhya Pradesh
Email-mptownplan@mp.gov.in, Phone No-0755 2427091

Notice

Bhopal, Dated. 01 / 3 2018

No. 1206 /CL/TC/40/2013 - In exercise of the powers conferred by clause(a) of Sub section (1) of section 23-A of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973). The Director, hereby proposes the following modifications for public information in the Burhanpur Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No	Village	Khasara No.	Area (In Ha.)	Land use specified in the development plan	Proposed Land use after modifications
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	City Burhanpur	528	3209.985 out of total 7.547 Ha.	Public & Semi Public	Commercial
		Total:-	3209.985 Ha		

Note: -

1. **The minimum road width of road from bus stand to stadium shall be 12.00 meters and 4.5 meter wide off street parking shall be left in front of shops.**
2. **Minimum 1.8 meters wide corridor shall be kept in front of shops.**
3. **The entry and exit of school between the shops shall be minimum 12.0 meter wide.**
4. **No opening of shops shall be allowed towards the school.**
5. **Sale or commerce of wine, cigarette and other prohibited items shall not be allowed within restricted area.**
6. **No activities or commerce which may likely pollute air, water or sound shall be permitted in the shops.**
7. **The school play ground shall be developed completely.**

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Deputy Director, Town and Country Planning, District Khandwa as well as on the web site. www.mptownplan.gov.in for period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions with respect to the said modifications may be submitted by any person to the Director, Town and Country Planning Madhya Pradesh Bhopal or Deputy Director Town and Country Planning, District office Khandwa, in writing within a period of 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers and such objections and suggestions which may be received before the expiry of the period specified above will be considered by the Director.

(Swati Meena Naik)
Director
Town and Country Planning
Madhya Pradesh Bhopal